रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 Registered No. D(D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1980/भाद्र 26, 1902
No. 179] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1980/BHADRA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 63-ई०टी०सी० (पीएन)/80

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1980

विषय खिड़की, दरवाजे और वातायन के मेकेनाइम का निर्यात

सं० 5/6/79-ई II से जारी उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ. 1977/एएम(179), दिनांक 17 सितम्बर, 1980 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन खिड़की, दरवाजे और वातायन मेकेनाइम के निर्यात की स्वीकृति इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् (ई० ई० पी०सी०) के पास पंजीकृत सविदाओं के मद्दे दी जाए।

3. तदनुसार, 1980-81 के निर्यात नीति पुस्तक की नीति विवरण, पृष्ठ सं० 23 पर क्रम सं० 80(14), कालम 3 में वर्णाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन की गई व्यवस्थाओं के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी" ।

माणि नारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 63-ETC(PN)/80

New Delhi, the 17th September, 1980

Subject :—Export of Window, door and ventilator sections.

File No. 5(6)/79-EII.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(179) dated the 17th September, 1980 on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of Window, door and ventilator section under OGL-3 against contracts registered with the Engineering Export Promotion Council (EEPC).

3. Accordingly the existing entry appearing in col. 3 against S. No. 80(14) on page 23 of the Policy Statement of Export Policy Book 1980-81 shall be substituted by the following :—

"Export will be allowed as provided under OGL-3."

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980